

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक— 31.08.2026 को अपराह्न 04.00 बजे VC के माध्यम से अपर समाहर्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्ताओं/अंचलाधिकारियों की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक—31.08.2026 को राज्यस्तरीय अपर समाहर्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्ताओं/अंचलाधिकारियों की बैठक का आयोजन VC के माध्यम से किया गया। जिसमें विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

2. सर्वप्रथम सचिव द्वारा माननीय विभागीय मंत्री एवं VC के माध्यम से बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि राजस्व संबंधी कार्यों एवं ऑनलाइन सेवाओं के त्वरित गति से निष्पादन किये जाने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गयी हैं।

सचिव द्वारा बैठक में ऑनलाइन सेवाओं के उपलब्धि के संबंध में जिलावार समीक्षा करते हुए जिलों की प्रगति की अद्यतन वस्तु-स्थिति से उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवतः है —

(1.) **Mutation Defect** - Mutation Defect check विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है समीक्षा के क्रम में पी0पी0टी0 के माध्यम से उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि Mutation Defect check के लंबित मामलों 05 जिलें यथा— जहानाबाद, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एवं दरभंगा जिलें में काफी ज्यादा है, जबकि भोजपुर, सुपौल, नवादा, शिवहर एवं शेखपुरा में काफी कम है। इसे शीघ्र निष्पादित किया जाय।

(अनुपालन संबंधित अंचलाधिकारी)

(2.) **Online Mutation** - वर्ष 2026—27 में ऑनलाइन दाखिल—खारिज के निष्पादन प्रतिशत भोजपुर, सीतामढी, शिवहर, मुंगेर एवं वैशाली जिलों में काफी कम हैं जिसे 20 दिनों के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया गया, साथ ही बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही Online mutation का निष्पादन किया जाय।

(अनुपालन संबंधित अंचलाधिकारी)

(3). **Digitized Jamabandi** - 2026-27 में निष्पादन प्रतिशत के मामलों में Top 05 में बांका, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा एवं औरंगाबाद जिलें हैं, जबकि Bottom 5 में अररिया, सहरसा, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों को स्थान मिला है। जिसमें सुधार लाये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन संबंधित अंचलाधिकारी)

(4). **Parimarian Plus (Left out Jamabandi)** - 2026-27 में निष्पादन के प्रतिशत के मामलों में Top 05 में कैमूर, पटना, रोहतास, सारण एवं मधुबनी जिलें हैं, जबकि Bottom 5 में शिवहर, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया एवं पूर्वी चम्पारण जिलों को स्थान मिला है।

सभी अपर समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि जिन ग्रामों में अनुपलब्ध खतियान की प्रति किसी व्यक्ति/रैयत के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तो उसे स्कैन करके भू-अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करते हुए सुरक्षित रखा जाय। जांचोपरांत कालक्रम में आमजनों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(5). **E-Mapi**- Top 05 में जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, प० चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिलें हैं, जबकि Bottom 5 में पूर्णिया, शिवहर, अररिया, सहरसा एवं वैशाली जिलों को स्थान मिला है।

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रतिदिन E-Mapi से सम्बंधित प्राप्त आवेदनों का 140-150 प्रतिशत निष्पादित करें ताकि लम्बित मामलों में कमी आये, साथ ही प्रत्येक अमीन एक माह में 20 मापी निश्चित रूप से करें इस सम्बंध में अमीनों की बैठक अपर समाहर्ता द्वारा की जाय।

(अनुपालन संबंधित अपर समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी)

(6). **Rajasw Maha Abhiyan**- Top 05 में नवादा, सुपौल, किशनगंज, भोजपुर एवं मुंगेर जिलें हैं, जबकि Bottom 5 में कैमूर, दरभंगा, शेखपुरा, गोपालगंज एवं मधेपुरा जिलों को स्थान मिला है। सभी पदाधिकारियों को रैंकिंग में सुधार लाये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन संबंधित अपर समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी)

(7). **Govt. Land Verification**- Top 05 में लखीसराय, नालन्दा, प० चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा जिला हैं जबकि Bottom 5 में गोपालगंज, सुपौल, कटिहार, जमुई एवं किशनगंज जिला हैं। सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि

Govt. Land Verification से संबंधित कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करें एवं जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहेगा उन पर कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन संबंधित अपर समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी)

(8.) **Public Grievance-** सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सहयोग शिवीर से संबंधित आवेदनों को समयवद्ध तरीके से निष्पादित करते हुए राज्य स्तर पर भी निष्पादित होने वाले आवेदनों को मुख्यालय स्तर से निष्पादित किया जाय।

(अनुपालन संबंधित अपर समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी)

(9.) RCMS पोर्टल पर संचालित विभिन्न वादों के समीक्षा क्रम में पाया गया कि -

(I.) CO RCMS Land Encroachment में अरवल, बांका, बेगूसराय, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास एवं सहरसा जिले में निष्पादन शून्य पाया गया है।

(II.) DCLR RCMS BLDRA से संबंधित पोर्टल पर अररिया, अरवल, बलिया (बेगूसराय), भागलपुर, आरा (भोजपुर), दरभंगा, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण), टिकारी (गयाजी), कटिहार, मुजफ्फरपुर पूर्वी, नवादा, मसौढ़ी (पटना), दलसिंहसराय (समस्तीपुर), समस्तीपुर, शिवहर, पुपरी (सीतामढ़ी), बगहा एवं नरकटियागंज (प० चम्पारण), भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों में निष्पादन प्रतिशत शून्य पाया गया है।

(III.) DCLR RCMS Mutation Appeal Portal पर से बलिया (बेगूसराय), रक्सौल (पूर्वी चम्पारण), मसौढ़ी (पटना), दलसिंहसराय (समस्तीपुर), पुपरी (सीतामढ़ी), सीतामढ़ी, बगहा एवं नरकटियागंज (प० चम्पारण), भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों में निष्पादन प्रतिशत शून्य पाया गया है।

उपरोक्त क्रमांक— (I.), (II.) एवं (III.) में वर्णित संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन विभागीय प्रशाखा-15)

3. बैठक के अन्त में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए निदेश दिया गया कि जिन जिलों का रैंक बहुत

नीचे है, उन्हें रैंक में सुधार लाने की आवश्यकता है, तथा जिनके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित मामलों को ऑफलाइन में किया जा रहा है, उस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

विगत 15 अगस्त को अभियान बसेरा अंतर्गत वासगीत पर्चा निर्गत किये जाने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी पदाधिकारियों को माननीय मंत्री एवं सचिव द्वारा बधाई दी गई साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि शेष बचे सर्वेक्षित सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को माह दिसंबर, 2026 तक वासगीत पर्चा निर्गत करने के संबंध में कारवाई करें एवं बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन व्यक्तियों को वासगीत पर्चा निर्गत हैं परंतु उसे अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उसे 15 सितम्बर 2026 तक अपलोड करने की कार्रवाई की जाय। उक्त समीक्षा बैठक पुनः दिनांक-15.09.2026 को किये जाने की सूचना माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को दी गयी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

E-mail

ज्ञापांक- 10/सम0/(भूमि सुधार उप समाहर्ता)-9/2026.....1247(10)/रा0, दिनांक-14/9/26

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14.9.26
(देवेश कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक- 10/सम0/(भूमि सुधार उप समाहर्ता)-9/2026.....1247(10)/रा0, दिनांक-14/9/26

प्रतिलिपि-निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14.9.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापक-10/सम0/(भूमि सुधार उप समाहर्ता)-9/2026.....1247(10)/रा0, दिनांक-14/9/26
प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव
(विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


(देवेश कुमार) 14.9.26
उप सचिव।